प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेप.I), ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
ODISHA, BHUBANESWAR

CIRCULAR

Sub: Deduction of Income Tax from salaries for the Financial Year 2024-25(A.Y. 2025-26)

Income Tax for the Financial year 2024-25 (Assessment year 2025-26) is to be deducted from the salaries of the Officers/officials of the Office of the Pr. Accountant General (Au-I) from the Pay of November 2024 to February 2025. Therefore, all concerned are requested to calculate their Income Tax with Health & Education Cess @4% and submit the proof of Savings/ additional income to OE(Au-1) Section **latest by 11 November 2024** and select their option for Old and New income tax regime in PFMS. **Personnel opting for new regime need not to submit any document as proof of savings.**

Note:- All Officers/Officials are requested to furnish proper House Rent Receipt/ Insurance Premium Receipt/Interest on Housing Loan receipt / Bank Statement(**Address with Pin No against property**) etc. each of which should be attached with a forwarding letter bearing a certificate that **"submitted by me for rebate in Income tax for the Assessment Year 2025-26"** with full dated signature , Contact No. and GPF A/c No., else the same will not be considered for the purpose of rebate.

Sd/-
Deputy Accountant General/Admn(Audit-1)

Memo No.OE(Au-I)/IT/2024-25/245 **Dated- 18.10.2024.**

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Pr. Accountant General (Audit-1)
2. Steno-I to DAG/Admn
3. Steno-II to DAG/AMG-I/AMG-II/AMG-III/AMG-IV/AMG-V
4. Welfare Officer
5. B.O in charge of Admn/OM-I&II /Report (Main)/PAC/ECPA/ राजभाषा अनुभाग/ Legal Cell/Trg. & Exam/Conf. Cell/DA&RC/ITA.
6. B.O in charge of AMG-I, II, III, IV & V. The group controlling sections are requested to collect and forward the same to Field Parties.
7. AAO/DA&RC for hoisting the circular on our official website.
8. Notice Board.

18/x/24

Sr. Audit Officer/OE(Audit-1)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय

ओड़िशा, भुवनेश्वर - 751001

परिपत्र

विषयः वित्त वर्ष 2024-2025 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए वेतन से आयकर की कटौती ।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचाारियों के वेतन से वित्त वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर की कटौती माह नवम्बर 2024 से फरवरी 2025 तक के वेतन से की जानी है। अतः सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने आयकर की स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से गणना कर बचत / अतिरिक्त आय का साक्ष्य दिनांक 11 नवम्बर 2024 तक कार्यालय स्थापना अनुभाग लेखापरीक्षा। में प्रस्तुत करें एवं पीएफएमएस में पुराने एवं नए आयकर रिजीम के संबंध में विकल्प का चयन करें। नए आयकर रिजीम के विकल्प का चयन करने वाले कार्मिकों को बचत का साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणीः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त गृह किराया पावती / इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद / हाउस लोन रिसीप पर ब्याज / बैंक स्टेटमेंट (सम्पति का पिन नंबर के साथ पता) इत्यादि प्रस्तुत करें । ऐसे सभी दस्तावेजों के साथ एक अग्रेषण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाणपत्र "निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर में छूट के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत" के साथ पूर्ण हस्ताक्षर, सम्पर्क नंबर एवं जीपीएफ खाता संख्या अंकित होना चाहिए अन्यथा उस पर छूट हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

हस्ता०/-

उप महालेखाकार / प्रशासन (लेखापरीक्षा I)

ज्ञापन संख्या का० स्था० (लेखापरीक्षा प्रथम) / आईटी/2024-25/245 **दिनांक 08.11.2023**

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) ओड़िशा, भुवनेश्वर
2. आशुलिपिक I, उप महालेखाकार (प्रशासन) ओडिशा, भुवनेश्वर
3. आशुलिपिक II, उप महालेखाकार एएमजी प्रथम / एएमजी द्वितीय / एएमजी तृतीय / एएमजी चतुर्थ /एमजी पंचम
4. कल्याण अधिकारी
5. शाखा अधिकारी प्रभारी प्रशासन / ओएम प्रथम एवं द्वितीय / रिपोर्ट मुख्य / पीएसी/ईसीपीए/हिंदी/विधिक/प्र. एवं परी./ आईटीए/गोपनीय प्रको./डीए एंड आरसी/एफएए / सम्पदा
6. शाखा अधिकारी / एएमजी प्रथम / एएमजी द्वितीय / एएमजी तृतीय/एएमजी चतुर्थ / एएमजी पंचम, नियंत्रक अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे फील्ड पार्टी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित करें ।
8. सहा०लेप.अ०/डीए एण्ड आरसी से अनुरोध है कि उक्त परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट एवं स्थानीय साइट पर अपलोड करें ।
9. नोटिस बोर्ड

दीपक महान्ति 8/11/24

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / का० स्था० (लेखापरीक्षा I)